बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 391390 पटना, दिनांक 28/09/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0 (नि0आ0)102-72/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- **"मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" एवं "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" से संबंधित पपत्र का प्रेषण।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के अंतर्गत लाभुकों द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र एवं आवेदन पत्र सहित लाभुक को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी स्वीकृत्यादेश का प्रारूप तथा "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत लाभुकों द्वारा दिया जाने वाला आवेदन एवं स्वीकृत्यादेश का प्रारूप इसके साथ संलग्न है ।

अत: अनुरोध है कि विभागीय निदेश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 391390 पटना, दिनांक 28/09/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 391390 पटना, दिनांक 28/09/18

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रपत्र -III

"मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी

....

जिला- ....

विषय :- **"मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ।**

आवेदक का नाम:-..

पिता/पति का नाम :-..

ग्राम/टोला :-.., **पंचायत** :-...

कोटि :- ....**उम्र** :-......................... **पेशा** :- ....

SECC ID No.: .... **PMAY-G की प्रतीक्षा सूची का क्रमांक** :-...................

मोबाईल नम्बर :- .... **आधार नं0** :- ....

बैंक खाता सं0 :-.................................... **बैंक का नाम** :-..

IFSC CODE :-...

1. मैं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ ।

2. मेरे/मेरे परिवार के पास आवास निर्माण करने के लिए पूर्व से वास भूमि उपलब्ध नहीं है । वास भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में क्रम आने पर भी आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने से मैं वंचित हूँ ।

3. मैंने वास भूमि के क्रय हेतु अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत भूमि का चयन कर लिया है तथा विक्रेता भूमि बिक्रय हेतु राजी हैं ।

अनुरोध है कि मुझे "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के तहत वास भूमि क्रय हेतु स्वीकृति दी जाय तथा अनुमान्य सहायता राशि (60,000/-) मेरे बैंक खाता में अंतरित करने की कृपा की जाय।

अनु0:- 1. आधार कार्ड की छायाप्रति

2.बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति

3.योजना के लाभ पाने हेतु शपथ पत्र की प्रति

विश्वासभाजन

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान)

आवेदक का नाम :-..............................

पता :-...

....

....

प्रपत्र – II

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए शपथ-पत्र

अधोहस्ताक्षतरी मैं (नाम) ...., पिता/पति का नाम ...., गॉव...................................., ग्राम पंचायत......................................., थाना...................................., प्रखंड............................,जिला...........................शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रत्रता रखता हूँ ।

2. मेरा नाम ग्राम पंचायत..................के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के क्रमांक................पर अंकित है तथा मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का पहचान संख्या (SECC ID) .... है ।

3. मेरे/मेरे परिवार के पास आवास निर्माण करने के लिए पूर्व से वास भूमि उपलब्ध नहीं है । वास भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में क्रम आने पर भी आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने से वंचित हूँ ।

4. मैंने वास भूमि के क्रय हेतु अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत भूमि का चयन कर लिया है एवं विक्रेता भूमि बिक्रय हेतु राजी हैं ।

5. मेरे द्वारा "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के तहत सहायता राशि 60,000(साठ हजार) रूपये प्राप्त करने के 3 (तीन) माह के अंदर वास भूमि का क्रय कर निबंधित भूमि के दस्तावेज की मूल प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

6. सहायता राशि प्राप्त करने के तीन माह अंदर भूमि क्रय कर दस्तावेज प्रखंड कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में मेरे द्वारा पूर्ण सहायता राशि अविलंब एवं एक मुश्त वापस कर दी जायेगी । इसमें विफल रहने पर प्राप्त की गई सहायता राशि की नियमानुसार वसूली मुझसे की जायेगी । साथ ही इसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए मैं भागी बनुँगा/बनुँगी ।

(शपथकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान)
शपथकर्ता का नाम :-................................
पता :-..
....
....

प्रपत्र I

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ...
जिला -............

स्वीकृत्यादेश

स्वी0सं0.................... दिनांक-:- ....

नामः-

SL. No. SECC No. PMAY-G ID No.

जॉब कार्ड सं0

ग्राम **पंचायत-** **प्रखण्ड-**

कोटि (SC/ST/EBC) -

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक्षा सूची में शामिल सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना- 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित वास स्थल विहीन परिवारों की सूची के आधार पर "**मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना**" के तहत आपको आवास निर्माण हेतु वास भूमि क्रय करने हेतु 60,000 (साठ हजार रूपये) सहायता राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है।
2. आपके द्वारा क्रय किये जाने वाली वास भूमि का चयन जिस ग्राम पंचायत के प्रतीक्षा सूची में नाम है उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वयं किया जायेगा ।
3. आपके द्वारा 3 (तीन) माह के अंदर वास भूमि का क्रय कर निबंधित भूमि के दस्तावेज की मूल प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी ।
4. आवास का निर्माण नियमानुसार कम-से-कम 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में किया जाएगा, जिसमें आवासीय कमरा एवं स्वच्छ रसोईघर का निर्माण कराना अनिवार्य होगा ।
5. आवास निर्माण के अतिरिक्त शौचालय का निर्माण भी अनिवार्य होगा । शौचालय निर्माण हेतु पूर्व में अगर राशि प्राप्त नहीं किया गया हो तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान / मनरेगा से 12000/- रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी ।
6. आवास निर्माण के क्रम में आपके जॉब कार्ड के विरूद्ध 90 मानव दिवस की अकुशल मजदूरी उपलब्ध करायी जाएगी ।
7. आपके द्वारा आवास निर्माण का कार्य प्रथम किस्त की सहायता राशि प्राप्ति के 12 माह के अन्दर पूर्ण किया जाएगा ।
8. निर्धारित अवधि में वास भूमि क्रय नहीं करने पर दी गई राशि की एक मुश्त राशि वापस करनी होगी अन्यथा दी गई सहायता राशि की वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

ज्ञापांकः- .... / दिनांकः- ....

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, ...को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

प्रपत्र-ग

"मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी

....

जिला- ....

विषय :- **"मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ।**

आवेदक का नाम:-..

पिता/पति का नाम :-..

ग्राम/टोला :-..., **पंचायत :-**...

कोटि :- ....**उम्र :-**.......................... **पेशा :-** ....

मोबाईल नम्बर :- .... **आधार नं0 :-** ....

बैंक खाता सं0 :-.................................... **बैंक का नाम :-**...

IFSC CODE :-...

1. मुझे 01.01.1996 के पूर्व गुच्छ समूहों में आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की गई थी/मेरे आवास का निर्माण कराया गया था ।

2. गुच्छ समूह में निर्मित मेरा आवास वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और मैं इसमें आवासीत होने के लिए विवश हूँ क्योंकि पूर्व की योजना के अंतर्गत आवास का लाभ पाने के कारण मैं इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं अन्य किसी आवासीय योजना का लाभ पाने की पात्रता से वंचित हूँ ।

3. मैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता/रखती हूँ।

4. मैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त होने पर स्वीकृत्यादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने आवास का निर्माण करूँगा/करूँगी ।

अनुरोध है कि मुझे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करने की कृपा की जाय।

अनु0:- 1. आधार कार्ड की छायाप्रति

2. बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति

विश्वासभाजन

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान)

आवेदक का नाम :-.......................................

पता :-..

....

....

प्रपत्र -1

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ....

जिला -...............

स्वीकृत्यादेश

स्वी0सं0.....................   दिनांक-:- ....

नाम:-

SL. No.

जॉब कार्ड सं0

ग्राम   पंचायत-   प्रखण्ड-

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृति

1. 1 जनवरी 1996 से पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों में निर्मित जीर्ण-शीर्ण आवास की सूची के आधार पर **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना** के तहत आपको आवास निर्माण हेतु 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है।
2. आपके द्वारा निर्धारित स्थल पर आवास निर्माण हेतु देय सहायता राशि आवास निर्माण की निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के आधार पर तीन किस्तों में विमुक्त की जाएगी।

किस्त	**भुगतान का स्तर**	**सहायता राशि**
प्रथम किस्त	स्वीकृति के साथ	40,000/-
द्वितीय किस्त	प्लिंथ स्तर के बाद	40,000/-
तृतीय किस्त	छत ढ़लाई के बाद	40,000/-

3. आवास का निर्माण नियमानुसार कम-से-कम 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में किया जाएगा, जिसमें आवासीय कमरा एवं स्वच्छ रसोईघर का निर्माण कराना अनिवार्य होगा ।
4. आवास का निर्माण भुकम्परोधी एवं आपदारोधी होना अनिवार्य है ।
5. आवास निर्माण के अतिरिक्त शौचालय का निर्माण भी अनिवार्य होगा । शौचालय निर्माण हेतु पूर्व में अगर राशि प्राप्त नहीं किया गया हो तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान / मनरेगा से 12000/- रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी ।
6. आवास निर्माण के क्रम में आपके जॉब कार्ड के विरूद्ध 90 मानव दिवस की अकुशल मजदूरी उपलब्ध करायी जाएगी ।
7. आपके द्वारा आवास निर्माण का कार्य प्रथम किस्त की सहायता राशि प्राप्ति के 12 माह के अन्दर पूर्ण किया जाएगा ।
8. सहायता राशि प्राप्त करने के 12 माह के अंदर आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर प्राप्त की गई सहायता राशि की वसूली के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

ज्ञापांक:- .... /   दिनांक:- ....

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, ...को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)